न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 53/2010 **दायर तारीख :–** 20-10-2010

1. ओमवीर सिंह पुत्र श्री अमर सिंह (फौत)
2. संगीता
3. रेखा
4. नीरू } पुत्रियान ओमवीर सिंह
5. विकास सिंह
6. पवन } पुत्रान जगदीश सिंह नाबालिग जरिये संरक्षक अर्जुन सिंह पुत्र जयसिंह
7. बिमला देवी पत्नि नत्थू सिंह

} समस्त जाति राजपूत निवासी खेडी डालू सिंह तह. बावल जिला रेवाडी हाल निवासी भोजेरा तह0 विराटनगर

8. सवाई सिंह पुत्र चन्दर सिंह निवासी भोजेरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. गुल्ली देवी पत्नि छोटा
2. परता
3. गोपाल
4. रामजीलाल } पुत्रान धन्ना
5. कानाराम पुत्र गंगासहाय
6. छाजूराम दत्तक पुत्र रामला
7. छाज्या पुत्र चन्द्रा
8. झमकुरी पत्नि छीतर
9. अर्जुनलाल
10. जीवणराम
11. मंगलाराम } पुत्रान छीतर

} समस्त जाति गुर्जर निवासी भोजेरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

12. शाखा प्रबधंक जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा शाहपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

—अप्रार्थीगण

14. धापा देवी पत्नि सूरजमल जाति गुर्जर निवासी भोजेरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

—तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत चकबंदी हेतू विनियम

अन्तर्गत धारा 49 लगायत 52 राज0 का0 अधि0

उपस्थित : श्री आनंद सिंह शेखावत, अधिवक्ता प्रार्थीगण
एकपक्षीय कार्यवाही अप्रार्थीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 25.02.2021

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम भोजेरा के खसरा नंबर 361/0.63, 464/0.38, 585/0.11, 346/0.38 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1. 50 हैक्टेयर में प्रार्थी संख्या 1 की पत्नि एवं 2 लगायत 4 की माता नवली देवी पत्नि ओमवीर सिंह हिस्सा 1/4, प्रार्थीगण संख्या 5 व 6 हिस्सा 11/31 दर हिस्सा 1/2,

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

तरतीबी अप्रार्थी धापा देवी पत्नि सूरजमल हिस्सा 1/4 तहत खाता संख्या 68 दर्ज रिकॉर्ड है। तथा प्रार्थी संख्या 7 एवं प्रार्थी संख्या 8 की खातेदारी भूमि हाल खसरा नंबर 325, 326, 344, 345, 347, 348, 349, 378, 391, 463, 465, 576, 324 कुल किता 13 कुल रकबा 5.26 हैक्टेयर भूमि वाकै ग्राम भोजेरा खाता संख्या 98 बिमला देवी पत्नि नत्थू सिंह हिस्सा 3/4, सवाई सिंह पुत्र चन्दर सिंह हिस्सा 1/4 दर्ज रिकॉर्ड है। तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हाल खसरा नंबर 360, 362, 363, 366 लगायत 369, 377, 379, 380, 383 लगायत 390, 392, 359 कुल किता 20 कुल रकबा 9.51 हैक्टेयर भूमि वाकै ग्राम भोजेरा खाता संख्या 75 प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 परता, गोपाल, रामजीलाल पिता धन्ना एवं इनकी माता भूरी बेवा धन्ना हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 5 कानाराम पुत्र गंगासहाय हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 1 गुल्ली देवी पत्नि स्व. छोटा हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 6 छाजूराम दत्तक पुत्र रामला हिस्सा 1/5 एवं प्रतिवादी संख्या 7 छाज्या पुत्र चन्दा हिससा 1/10 बिला रहन प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 11 झमकूडी पत्नि दीतर अर्जुनलाल जीवणराम मंगलाराम पिता छीतर हिस्सा 1/10 राहिन जयपुर जिला सहाकरी भूमि विकास बैंक शाहपुरा मूर्तहीन दर्ज रिकॉर्ड हैं। प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि एक दूसरे से लगती हुई होने से काश्त की सुविधाा के लिए काफी पहले से हाल खसरा नंबर 361/0.63 हैक्टेयर भूमि जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 एवं तरतीबी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। की काश्त अप्रार्थी संख्या 8 लगायत 11 करते आ रहे है। प्रार्थीया संख्या 7 व 8 के नाम दर्ज रिकॉर्ड के हाल खसरा नंबर 391/0.58 हैक्टेयर भूमि की काश्त अप्रार्थी संख्या 1 व उसका पुत्र जगदीश करते आ रहे है। इस प्रकार प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी की खातेदारी भूमि हाल खसरा नंबर 361/0.63, 391/0.58 कुल किता 2 कुल रकबा 1.21 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थीगण काबिज होकर काश्त कर रहे हैं अप्रार्थीगण ने भी मौके पर काश्त की सुविधा के लिए भूमि का मौखिक बंटवारा कर रखा है। प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थी की खातेदारी भूमि हाल खसरा नंबर 361/0.63, 391/0.58 हैक्टेयर भूमि जो कि अप्रार्थीगण की भूमि के मध्य आती है। जिस पर अप्रार्थीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है, के बदले में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी भूमि हाल खसरा नंबर 360/0.65, 359/0.52 कुल किता 2 कुल रकबा 1.17 हैक्टेयर भूमि जो प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी के कब्जे काश्त में है एवं प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीया काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी व अप्रार्थीगण के जोत की चकबंदी एवं काश्त की सुविधा से मौके पर किए गए उक्त विनियम में दोनों पक्षों की भूमि एक ही किसम की एवं समान लगान दर की भूमि है जो रकबे की आधार पर भी समान ही है व एक ही भूमि धारी राजस्थान सरकार के अधीन है। आराजी खसरा नंबर 361/0.63, 391/0.58 कुल किता 2 कुल रकबा 1.21 हैक्टेयर जो प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है का अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 के की खातेदारी भूमि हाल खसरा नंबर 359/0.52, 360/0.65 कुल किता 2 कुल रकबा 1.17 हैक्टेयर वाकै ग्राम भोजेरा के साथ विनिमय करने पर प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 के हिससे में 15 एयर, प्रार्थी संख्या 5 व 6 के हिस्से में 11 एयर, प्रार्थी संख्या 7 के हिस्से में 62 एयर, प्रार्थी संख्या 8 के हिस्से में 14 एयर एवं तरतीबी अप्रार्थी के हिस्से में 15 एयर कुल

कार्यालय-उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते विराटनगर (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

1.17 हैक्टेयर भूमि आती है वही अप्रार्थीण के हिस्से में वर्तमान हिस्सेदारी के मुताबिक भूमि आती है। अतः प्रार्थना पत्र बावत चकबंदी हेतू विनिमय मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी के नाम दर्ज हाल खातेदारी भूमि खसरा नंबर 361/0.63, 391/0.58 कुल किता 2 कुल रकबा 1.21 हैक्टेयर भूमि वाकै ग्राम मोजेरा का अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हाल खसरा नंबर 360/0.65, 359/0.52 कुल किता 2 कुल रकबा 1.17 हैक्टेयर के साथ विनिमय किया जाने एवं अप्रार्थीगण के हाल खसरा नंबर 360/0.65, 359/0.52 कुल किता 2 कुल रकबा 1.17 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 को 0.15 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 5 व 6 को 0.11 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 7 को 0.62 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 8 को 0.14 हैक्टेयर एवं तरतीबी अप्रार्थी संख्या 14 को 0.15 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार दर्ज कराने एवं अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हाल खसरा नंबर 361/0.63, 391/0.58 कुल किता 2 कुल रकबा 1.21 हैक्टेयर को उनकी वर्तमान हिस्सेदारी के मुताबिक खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश जारी करने एंव अप्रार्थी संख्या 13 का उक्त आदेश की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 की सम्यक् तामिल हुई, अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।

3. वादीगण ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नक्शा ट्रेस ग्राम ससाना, नकल जमाबन्दी ग्राम मोजेरा खाता संख्या 64, 68, 75, संवत् 2065–2068, फोटो प्रति निर्णय दिनांक 03.01.2006 सिविल कोर्ट रेवाडी आदि पेश किए है।

4. तहसीलदार विराटनगर द्वारा जवाब में कथन रहे कि प्रश्नगत प्रार्थना पत्र विनिमय ग्राम मोजेरा के खसरा नंबर 359/0.52, 360/0.65, 361/0.63, 391/0.58 से संबंधित है। खसरा नंबर 359, 360 कुल किता 2 कुल रकबा 1.17 हैक्टेयर पर तरतीबी अप्रार्थी दाखा देवी पत्नि सूरजमल गुर्जर साकिन देह का कब्जा काश्त है। खसरा नंबर 361 रकबा 0.63 पर अर्जुनलाल, जीवनराम, मंगलाराम पिता छीतर, झमकुडी पत्नि छीतर जाति गुर्जर का कब्जा काश्त है। खसरा नबर 391 रकबा 0.58 हैक्टेयर पर गुल्ली देवी पत्नि छोटा, जगदीश पुत्र छोटा जाति गुर्जर का कब्जा काश्त है। खसरा नंबर 359 व 360 रास्ते से सटे हुए खेत है, जबकि खसरा नंबर 361 व 391 रास्ते से काफी दूर है। जिसका बाजार मूल्य भी एक समान नहीं है। तथा विशेष कथन रहे कि विनिमय का प्रार्थना पत्र जिस तरह तहरीर का विनिमय चाहा गया है वह नियम विरुद्व है एंव आसामियों द्वारा विनिमय की आड में स्टाम्प ड्यूटी व शुल्क बचाकर सरकार के राजस्व घाटा कारित करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं प्रकरण विनिमय का नहीं होकर विक्रय का होने से खारिज योग्य है।

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम मोजेरा के खसरा नंबर 359/0.52, 360/0.65, 361/0.69, 391/0.58 हैक्टेयर प्रार्थीगण, तरतीबी अप्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रकरण में तहसीलदार विराटनगर से रिपोर्ट अनुसार खसरा नंबर 359, 360 कुल किता 2 कुल रकबा 1.17 हैक्टेयर पर तरतीबी अप्रार्थी दाखा देवी पत्नि सूरजमल गुर्जर साकिन देह का कब्जा काश्त है। खसरा

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

नंबर 361 रकबा 0.63 पर अर्जुनलाल, जीवनराम, मंगलाराम पिता छीतर, झमकुडी पत्नि छीतर जाति गुर्जर का कब्जा काश्त है। खसरा नबर 391 रकबा 0.58 हैक्टेयर पर गुल्ली देवी पत्नि छोटा, जगदीश पुत्र छोटा जाति गुर्जर का कब्जा काश्त है। खसरा नंबर 359 व 360 रास्ते से सटे हुए खेत है, जबकि खसरा नंबर 361 व 391 रास्ते से काफी दूर है। उक्त खसरा नंबरान का बाजार मूल्य भी एक समान नहीं है। विनिमय का प्रार्थना पत्र जिस तरह तहरीर का विनिमय चाहा गया है वह नियम विरूद्व है एंव आसामियों द्वारा विनिमय की आड में स्टाम्प ड्यूटी व शुल्क बचाकर सरकार के राजस्व घाटा कारित करने के उद्देश्य से पेश किया जाना प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना 'पत्र खारिज किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत चकबंदी हेतू विनिमय अन्तर्गत धारा 49 लगायत 52 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

कार्यालय–उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)